न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम (3)

प्र. नं. 27/16

पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य R.A.S. दिनांक 6.6.16

उनवान

रामभरोसी पुत्र रामधन जाति मीना निवासी [illegible] तहसील टोडाभीम जिला - करौली

बनाम (सायल)

1. माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर टोडाभीम (जया बाल [illegible]) टोडाभीम जिला करौली जरिये अध्यक्ष/प्रधानाध्यापक
2. तहसीलदार टोडाभीम
3. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली

(गैरसायल)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट (सायल)
श्री सुनील कुमार [illegible] एडवोकेट (गैरसायल)
पैरोकार सरकार (गैरसायल नं. 2, 3)

निर्णय

दिनांक 19.4.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल खसरा नं. 347 रकबा 19 ऐयर, 348/349 रकबा 6 ऐयर, 431 रकबा 21 ऐयर, 443 रकबा 32 ऐयर, 449 रकबा 35 ऐयर, 484 रकबा [illegible] ऐयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.53 है। ग्राम [illegible] तहसील टोडाभीम का [illegible] मालिक खातेदार काश्तकार है जिस का कोई [illegible] नहीं है। आराजी खसरा नं. 431 एवं खसरा नं. 443 सायल की खातेदारी की [illegible] है। [illegible] में खसरा नं. 442 का नाम सायल के कब्जे काश्त में है। इस प्रकार खसरा नं. 431 एवं 443 के बीच में खसरा नं. 444 रकबा 25 ऐयर सायल के कब्जे काश्त की आराजी है। आराजी खसरा नं. 444 रकबा 25 ऐयर भूमि कृषि योग्य भूमि है जिसे सायल 40 वर्षों से काश्त करता चला आ रहा है तथा सायल ने [illegible] तहसील टोडाभीम में [illegible] जमा करवाई है। गिरदावरी सायल के नाम चली आरही है। [illegible] में संवत 2072 वर्ष 2015 में सायल के नाम रकबा गिरदावरी दर्ज है।

(लगातार)

उप जिला कलक्टर
([illegible] करौली)

सायल द्वारा सरसों की काश्त की है। कब्जा काश्त होने के कारण ख. नं. 444 रकबा 25 ऐयर की खातेदारी सायल अंकित करने का इकरार है। ख. नं. 441 राजकीय बालिका छात्रावास की भूमि होने के कारण एवं चाहते हैं उक्त जमीन को हासिल कर ख.नं. 444 को तहसीलदार रामगढ़ से जांच करके गैर सायल नं. 1 स्कूल के नाम करवाना चाहते हैं। एवं मिली भगत से अलाटमेन्ट करवाना चाहते हैं। गैरसायल नं. 1 की अलाटमेन्ट की कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक है। दिनांक 30-5-2016 को सायल ने गैरसायल नं. 2 से कहा कि ख.नं. 444 रकबा 25 ऐयर की खातेदारी मेरे नाम कर दो तथा गैरसायल एवं अन्य कागजों में जो खर्चा होगा उसे मैं वहन करने को तैयार हूँ एवं उस जमीन को मेरे नाम रेगुलाइज की जावे। किन्तु गैरसायल नं. 2 ने एक नहीं सुनी। इस कारण से यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः निवेदन है कि आराजी ख.नं. 444 रकबा 25 ऐयर ग्राम चिड़वा में सायल के कब्जे काश्त में दखल न देने हेतु गैरसायलान को ता फैसला पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल नं. 1 की ओर से श्री सुनील कुमार जैदान एडवोकेट तथा गैरसायल नं. 2, 3 की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब पेश किये। गैरसायल नं. 1 ने अपने जवाब में विवादित भूमि ग्राम चिड़वा में होना स्वीकार किया किन्तु शेष इकरार को अस्वीकार करते हुए ख.नं. 444 रकबा 25 ऐयर से सायल का कोई लेना देना नहीं होना बताया न ही कब्जा होना बताया। सायल ख.नं. 444 रकबा 25 ऐयर की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना बताया। यह भी अंकित किया कि ख.नं. 444 की खातेदारी पूर्व में सारादेवी बेवा पन्नादेवी के नाम थी। दिनांक 30-5-2016 को या कभी भी सायल एवं गैर सायल नं. 1 के मध्य कोई बात नहीं हुई। जवाब के विशेष विवरण में लिखा है कि सार्वजनिक बन्दोबस्त (?) से पूर्व रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 183/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा जिसके बन्दोबस्त कार्यवाही के बाद नवीन खसरा नम्बर 434 रकबा 6 ऐयर, 435 रकबा 29 ऐयर, 436 रकबा 18 ऐयर, 441 रकबा 23 ऐयर, 442 रकबा 8 ऐयर,

(लगातार)

6

444 रकबा 25 हैक्टर ग्राम निवाहत के कायम किये है। जो भूमि खातेदार तारादेवी पत्नि भेरा पन्ना के नाम दर्ज थी। पूर्व खातेदार तारा पत्नि भेरा पन्ना मीना निवासी मोहनवाड़ा ने दिनांक 21.6.1991 को सम्पूर्ण भूमि को राज्य सरकार के हित में भारतीय शिक्षा समिति डीगापुर न.लि. राजस्थान आदर्श शिक्षा मंदिर गैरसायल नं.1 के विद्यालय निर्माण एवं खेल मैदान बनाने के लिए समर्पित किया गया। उक्त समर्पण पत्र तारीखी 21.6.1991 के आधार पर उक्त सम्पूर्ण भूमि सिवायचक दर्ज कर दी। जो नामांतरण संख्या 28 18। का हो जाता है। इसलिए सायल का आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

गैरसायल नं. 2, 3 की ओर से जवाब पेश किया है कि विवादित भूमि खसरा नं. 444 रकबा 25 हैक्टर ग्राम निवाहत से सायल का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है यह भूमि राज्य सरकार राजस्थान सरकार की खातेदारी की भूमि है जो सिवायचक दर्ज है। खसरा नं. 444 रकबा 25 हैक्टर भूमि माध्यमिक आदर्श शिक्षा मंदिर निर्माण हेतु दिनांक 19.5.2016 को प्रस्तावित किया है उक्त आवंटन कार्यवाही को प्रभावित करने की दृष्टि से ही दिनांक 2.6.16 को यह वाद प्रस्तुत किया है। दिनांक 30.5.16 को सायल से कोई बात नहीं हुई। आराजी खसरा नम्बर 444 खसरा नं. 443 का भाग है आदि सायल का कब्जा है। सायल को किसी भी प्रकार से अपूरणीय क्षति नहीं है। अतः सायल का आवेदन पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

सायल ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में राजस्व जमाबंदी लेखा 2071-2075, नवीन नक्शा ट्रेस, पैमाइश की रसीद, जमाबंदी खसरा परि- -वर्तन अंकित लेखा 2071 मिलान हैसियत, जमाबंदी लेखा 2016-2017, जमाबंदी लेखा 2036-2037, खसरा परिवर्तन अंकित संवत् 2036 की जमाबंदी खसरा परिवर्तन अंकित सं. 2058, तथा खसरा परिवर्तन विवरण सं 2018 से 2072 पेश की। गैरसायल नं. 1 द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांक 4.5.1991 का इकरारनामा जो 5 रुपये के स्टाम्प पर तारा बेवा पन्ना द्वारा श्री किशन लाल शर्मा अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति डीगापुर

(लगातार)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

रजिस्टर्ड शाखा रोडवेज़ के हक में विक्रयनामा तथा समर्पित पत्र तारीख 21-6-1991 जो बाद में विवादित भूमि जैसाराम नं. 1 के हक में राज्य सरकार को हस्तान्तरित की गई। जमाबंदी संवत 2038-2041 ग्राम चिड़ावा, तहसील, ख. नं. 28 जिसमें सहज विवादित भूमि दर्ज हुई। [illegible], जमाबंदी संवत 2047-2050 उपलब्ध है।

वर्तमान उपरोक्त पक्ष की बहस सुनी गई। आपत्ति पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया, कथन किया कि ख. नं. 444 की भूमि पर आवेदक का कब्जा है, वहां [illegible] ने [illegible] है। [illegible] की भांति तहसील में जमा करते चले आ रहे हैं। [illegible] का कोई संबंध नहीं है। आवेदक का प्रथमदृष्टया केस साबित है सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है यदि [illegible] को [illegible] किया जाता है तो आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए आवेदक का आपत्ति पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर [illegible] जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। [illegible] ने बहस में जवाब अस्थाई आपत्ति पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ख. नं. 444 रकबा 14 हैक्टर जो [illegible] 18। रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा है बना है जो पूर्व खातेदार [illegible] द्वारा जैसाराम नं. 1 के हक में पांच रुपये के स्टाम्प पर दिनांक 4.5.1991 को इकरारनामा करके विक्रय कर दिया लेकिन उक्त भूमि [illegible] के कारण जैसाराम नं. 1 के नाम नहीं हो सकी इसलिए खातेदार द्वारा दिनांक 21.6.1991 को राज्य सरकार के हक में उक्त भूमि का समर्पण पत्र कर दिया। जो 6 रुपये के स्टाम्प पर [illegible] के समक्ष तहरीर किया गया है। जिसके पश्चात उक्त समस्त भूमि राज्य सरकार के नाम हिस्सापत्र दर्ज हुई है। इसलिए आवेदक अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है। [illegible] सरकार ने आपत्ति पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व खातेदार द्वारा राज्य सरकार के हक में समर्पित की गई है, [illegible] हिस्सापत्र दर्ज हुई है। नियमानुसार जैसाराम नं. 1 के पक्ष में आवंटन की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है, आवंटन की प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से ही आवेदक ने यह आपत्ति पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है, आपत्ति पत्र आवेदक खारिज फरमाया जावे।

(लगातार)

उप जिला कलेक्टर
[illegible] (कोर्ट)

[illegible] उभयपक्ष एवं [illegible] सरकार की बहस सुनकर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार ग्राम [illegible] की भूमि खसरा नम्बर 444 रकबा 25 हैक्टर राजस्थान सरकार सिवायचक के रूप में दर्ज है। अपीलार्थी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो अपीलार्थी को खातेदार साबित करे। अपीलार्थी ने अपील पत्र में, दस्तावेजी साक्ष्य में तथा बहस में भी अतिक्रमी के रूप में कब्जा करना बताया है। [illegible] के तात्कालिक खसरा नम्बरान के पूर्व खातेदारान को [illegible] प्रस्तुत हुए इकरारनामा दिनांक 4.5.1991 के अनुसार [illegible] द्वारा देवी [illegible] पत्नी [illegible] द्वारा तात्कालिक खसरा नम्बर 18 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 183/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि [illegible] भारतीय शिक्षा समिति [illegible] है। समर्पण पत्र तारीखी 21.6.1991 के अनुसार पूर्व खातेदार [illegible] पत्नी [illegible] राजस्थान सरकार के हक में [illegible] तहसीलदार [illegible] है। जिसके आधार पर [illegible] राजस्थान सरकार के हक में सिवायचक दर्ज हुई [illegible] प्रस्तुत होने का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी का [illegible] ना ही अपीलार्थी के पक्ष में साबित नहीं है तो अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है। यदि [illegible] को पाबन्द किया जाता है तो [illegible] को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस प्रकार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.4.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
उप जिला [illegible]
[illegible]